

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2021—आश्विन 30, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक—2038—डूडा—2021

सागर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 1-14/2021/18-3/भोपाल दिनांक 11.10.2021 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सागर जिले की मालथौन ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये संकमणशील क्षेत्र को बरोदियाकलां नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

नगर परिषद् बरोदियाकलां गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम:-

स.क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सागर	मालथौन	बरोदियाकलां	बरोदियाकलां	बरोदियाकलां, प्रेमपुरा	2331.33
2				डबडेरा	डबडेरा, मिरगावली, चुरारी, ढडली धौरा	1645.01

3		बीकोरकलां	बीकोरकलां, सिमरियागरय, गंभीरिया, बीकोरकलांखुर्द	1071.37	
4		दरी	दरी, मडखेडा, बीकोरखुर्द	1062.01	
5		बनखिरिया	बनखिरिया, चक्क बनखिरिया, तिगराखुर्द, चौकाकलां, चौकाखुर्द, हनौता	1226.77	
6		उमरई	उमरई, खैरा	981.60	
कुल:-			6	21	8318.09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर.

No.-2038-DUDA-2021

Sagar, the 22nd October 2021

According to the approval received from the order number 1-14/2021/18-3/Bhopal dated 11.10.2021 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department, section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Malthon block of Sagar district is initially notified for the formation of Barodiakalan Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Sagar, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the state government.

Revenue villages to be included in the formation of Municipal council Barodiakalan.

No.	Distt.	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sagar	Malthaun	Barodiya Kalan	Barodiya Kalan	Barodiya Kalan, Prempura	2331.33
2				Dabedera	Dabedera, Mirgawali, Churari, Dhadli Dhaurra	1645.01
3				Bikor Kalan	Bikor Kalan, Simariya Garye, Gambhiriya, Bikorkalan Khurd	1071.37
4				Dari	Dari, Madkheda, Bikorkhurd	1062.01
5				Bankhiriya	Bankhiriya, Chak Bankhiriya, Tigra Khurd, Chauka Kalan, Chauka Khurd, Hanota	1226.77
6				Umrai	Umari, Khera	981.60
Total				06	21	8318.09

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK ARYA, Collector.